अस्वीकृत

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)

आर०एम० वाद सं०....97..... / 2022–23

धारा–46(1)a छो०का०अधि०

शांति देवी..विक्रता / आवेदक

बनाम

सोमनाथ मुण्डा..क्रेता / विपक्षी

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई टिप्पणी तारीख सहित
	आवेदिका शांति देवी पति–स्व० डोम मुण्डा, ग्राम–कनकट्टा, पो०–सताकी, थाना–अनगड़ा, अचंल–राहे, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–मुण्डा, पेशा–गृहिणी, ने आवेदन देकर सूचित किया है, कि वे अपनी निम्नलिखित खतियानी / राजस्ट्री जमीन विपक्षी सोमनाथ मुण्डा पिता–राधा मुण्डा, ग्राम–पुरनाडीह, पो०–सताकी, थाना–अनगड़ा, अंचल–राहे, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–मुण्डा, पेशा–खेती, को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46(1)a के तहत बिक्री हेतु अनुमति की माँग की गयी है। **जमीन का विवरण** **मौजा** – पुरनाडीह; **थाना / थाना सं०** – अनगड़ा / 36; **खाता स०** – 99; **प्लॉट सं०** – 350; **रकवा** – 05 डी० मध्ये 04 डी० चौहद्दीः–उ०–नीज क्रेता। द०–सावन मुण्डा। पू०–पंचानन मुण्डा। प०–चैतन मुण्डा। आवेदिका द्वारा समर्पित वंशावली अनुसार उपरोक्त जमीन संयुक्त खाते की है। जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। आवेदिका (विक्रेता) अपने पति–स्व० डोम मुण्डा के हिस्से की जमीन बिक्री करना चाहती है। परन्तु भैयादी (अन्य हिस्सेदारों / वंशजों) वंशज छुटुवा मुण्डा का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही है। अतः आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। 5/10 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता। बुण्डू।	

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2022.10.29 13:59:57 +05:30
Location: 192.168.154.216